बिहार सरकार
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

संकल्प

संख्या–03/स्था0–अं0 अ0–24/2012............................../रा0 पटना–15, दिनांक....................

विषयः– **बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में बिहार राज्य के सभी जिलों के भू–अभिलेखों के अद्यतनीकरण कार्य हेतु बिहार राजस्व सेवा के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के लिए सृजित कुल 534 पदों में से 50 (पचास) पदों को बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों के वेतनमान में उत्क्रमित करने तथा गैर संवर्गीय घोषित करने के संबंध में।**

बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त अधिनियम, 2011 के आलोक में बिहार राज्य के सभी 38 जिलों का अद्यतन भू–अभिलेख तैयार करने के लिए तीन वर्षों की समय सीमा निर्धारित की गयी है। सभी 38 जिलों को 3 (तीन) वर्षों में चरणबद्ध कार्यक्रम के तहत विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत आच्छादित किया जायेगा। पहले वर्ष में 13 जिले, दूसरे वर्ष में 13 जिले एवं तीसरे वर्ष में 12 जिले आच्छादित होंगे।

2. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के अन्तर्गत अद्यतन मानचित्र का निर्माण आधुनिक तकनीक से किया जा रहा है। इन मानचित्रों का जमीनी सत्यापन सम्बन्धित बंदोबस्त कार्यालय द्वारा किया जाएगा।

3. री–सर्वे मानचित्र के जमीनी सत्यापन हेतु प्रत्येक अंचल में तीन शिविर गठित किया जाएगा जो सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के नियंत्रण में कार्य करेगा। विभागीय आकलन के अनुसार प्रथम चरण में 178 अंचल के लिए कुल मिलाकर (178X3) = 534 सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारियों की आवश्यकता होगी। प्रथम चरण के जिलों में कार्य समाप्ति के उपरांत इसी कार्यबल को द्वितीय एवं तृतीय चरण के जिलों में प्रतिनियुक्त/पदस्थापित करते हुए लक्ष्य प्राप्ति की योजना है।

4. बिहार विशेष सर्वेक्षण एवं बंदोबस्त कार्यक्रम के क्षेत्रीय स्तर पर संचालन हेतु सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के कुल 534 पद अस्थायी रूप से तीन वर्षों के लिए सृजित किए गए हैं। इन पदों पर आवश्यकतानुसार बिहार राजस्व सेवा के पदाधिकारियों/संविदा के आधार पर नियोजन से पदस्थापन का प्रावधान रखा गया है।

5. बिहार राजस्व सेवा संवर्ग के गठन के उपरांत सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पदों पर राजस्व सेवा के कर्मियों को पदस्थापित/प्रतिनियुक्त किया जा रहा है। वर्त्तमान में उपलब्ध न्यून कार्यबल से सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के सभी 534 पदों पर पदस्थापन/प्रतिनियुक्ति करने में कठिनाई हो रही है।

6. सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी की कमी तथा कृषि रोड मैप के अन्तर्गत निर्धारित तीन वर्षो की समय सीमा को ध्यान में रखते हुए यह निर्णय लिया गया कि बिहार राजस्व सेवा के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारियों के लिए सृजित कुल 534 पदों में से मात्र 50 (पचास) पदों को बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल पद यथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारियों के वेतनमान में उत्क्रमित करते हुए चिन्हित किया जाय। तदनुसार अनुमंडल मुख्यालयों एवं जिला मुख्यालयों में सहायक बन्दोवस्त पदाधिकारी के पद को उप समाहर्त्ता स्तर के 5400/– रू0 ग्रेड पे के पदाधिकारियों के लिए चिन्हित किया गया है। अनुमंडल क्षेत्रान्तर्गत उप समाहर्त्ता स्तर के सहायक बन्दोवस्त पदा0 अपने कार्यों के अलावा पर्यवेक्षण कार्य भी करेंगे।

बिहार राजस्व सेवा संवर्ग गठन के उपरान्त सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का पद बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पद से अवक्रमित हो गया है। वर्त्तमान में बिहार राजस्व सेवा के अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारी को सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पद पर पदस्थापित किया जाता है। बिहार राजस्व सेवा में अंचल अधिकारी एवं समकक्ष ग्रेड के पदाधिकारियों की पर्याप्त कार्यबल नहीं रहने की स्थिति में यह निर्णय लिया गया है कि बिहार प्रशासनिक सेवा के मूल कोटि के पदाधिकारी यथा अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी के 50 (पचास) पदाधिकारियों को इनके वेतनमान में ही सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी का कार्य सम्पादित कराया जाय।

7. सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के आवश्यकतानुसार 50 पदाधिकारियों (वेतनमान–पी0बी0–2, 9300–34800+ग्रेड पे– 5400/=रूपये में) की सेवाएँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को प्रतिनियुक्ति के आधार पर उपलब्ध कराया जाएगा।

8. सामान्य प्रशासन विभाग से प्रतिनियुक्ति किए जाने/सेवा प्राप्त होने पर राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग आवश्यकतानुसार अपने स्तर से समय–समय पर अधिसूचना निर्गत कर सकेगा।

9. सामन्य प्रशासन विभाग से प्रतिनियुक्ति के आधार पर सेवा प्राप्त होने पर सम्बन्धित पदाधिकारियों के वेतनादि का भुगतान मूल पदस्थापन कार्यालय से किया जाएगा। वेतनादि का भुगतान सम्बन्धित बंदोबस्त कार्यालय के स्थापना मद के लिए सृजित बजट शीर्ष से किया जाएगा।

10. बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारी सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि में भू–अभिलेख एवं परिमाप निदेशालय, बिहार, पटना के नियंत्रण एवं मार्गदर्शन में कार्य करेंगे।

11. वर्तमान में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी के पद पर मूल रूप से पदस्थापित/प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों का वेतनमान पी0 बी0 – 9300–34800 ग्रेड पे 4800 है जबकि बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के मूल कोटि के पदाधिकारियों का वेतनमान पी0 बी0–2– 9300–34800 ग्रेड पे 5400 है। वर्णित परिस्थिति में सहायक बन्दोबस्त पदाधिकारी (बिहार राजस्व सेवा) के 50 पदों को गैर संवर्गीय (Ex-Cadre) घोषित करते हुए योजना समाप्त होने की अवधि तक के लिए जिन रिक्त पदों पर बिहार प्रशासनिक सेवा के अनुमंडल पदाधिकारी एवं समकक्ष स्तर के पदाधिकारियों को प्रतिनियुक्त किया जाएगा, बिहार राजस्व सेवा के सहायक बंदोबस्त पदाधिकारी के उन पदों (अधिकतम 50) को संबंधित वेतनमान एवं ग्रेड पे के स्तर तक उत्क्रमित एवं गैर संवर्गीय (Ex-Cadre) समझा जाएगा।

आदेशः– अदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में सर्व साधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया जाय।

बिहार राज्यपाल के आदेश से।

(हस्ताक्षर) 26.1.13

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव
राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

ज्ञापांक–03/स्था0–अं0 अ0–24/2012 68(3)/रा0 पटना–15, दिनांक 26/2/13

प्रतिलिपिः– महालेखाकार, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 26.2.13

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–03/स्था0–अं0 अ0–24/2012 68(3)/रा0 पटना–15, दिनांक 2

प्रतिलिपिः– अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय, गुलजारबाग, पटना–7 को हार्ड एवं सॉफ्ट कॉपी के साथ राजपत्र के आगामी असाधारण अंक में प्रकाशनार्थ प्रेषित।

अनुरोध है कि राजपत्र की 100 (एक सौ) मुद्रित प्रतियाँ राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को उपलब्ध करायी जाय।

ह0/- 26.2.13

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–03/स्था0–अं0 अ0–24/2012 68(3)/रा0 पटना–15, दिनांक 26/2/13

प्रतिलिपिः– प्रधान सचिव, वित्त विभाग/सामान्य प्रशासन विभाग/ योजना एवं विकास विभाग/ सभी विभाग/ सभी विभागाध्यक्ष/सचिव–सह–निदेशक, भू–अभिलेख एवं परिमाप/ सभी प्रमंडलीय आयुक्त/सभी समाहर्त्ता/ सभी बंदोबस्त पदाधिकारी / राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग के सभी पदाधिकारी (प्रशाखा पदाधिकारी सहित)/ सम्बन्धित सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

FAX

ह0/- 26.2.13

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–03/स्था0–अं0 अ0–24/2012 68(3)/रा0 पटना–15, दिनांक 26/2/13

प्रतिलिपिः– सभी कोषागार पदाधिकारी/उप कोषागार पदाधिकारी, को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/- 26.2.13

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव

ज्ञापांक–03/स्था0–अं0 अ0–24/2012 68(3)/रा0 पटना–15, दिनांक 26/2/13

प्रतिलिपिः–आई0 टी0 मैनेजर, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

ह0/- 26.2.13

(सी0 अशोकवर्धन)
प्रधान सचिव